

(12)

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

कार्यालय आदेश

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश ज्ञापांक-2428 दिनांक-29.10.12 द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय में प्रधानाध्यापक के दायित्वों के निर्वहन हेतु 12 शिक्षक/शिक्षिकायें की सेवा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को अस्थायी रूप से सौंपी गयी है।


कार्यहित में एवं लोकहित में उपरोक्त प्रतिनियुक्त शिक्षक/शिक्षिकायें को पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के दायित्वों के निर्वहन हेतु उनके नाम के सामने अंकित आवासीय विद्यालय में अस्थायी रूप से कार्यकारी व्यवस्था के तहत अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :-

क्र०	शिक्षक/शिक्षिकायें का नाम	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	श्री भूपेन्द्र प्रसाद यादव	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, पाटलीपुत्रा, पटना।
2	श्री पंकज कुमार	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, मोकामा, पटना।
3	श्री रवीन्द्र प्रसाद	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, गया।
4	श्री साधना रानी	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, भागलपुर।
5	श्री महेन्द्र प्रसाद यादव	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, दरभंगा।
6	श्री गणेश प्रसाद यादव	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, मुजफ्फरपुर।
7	श्री बलिराम दास	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, पूर्णियाँ।
8	श्री विजय प्रकाश गुप्ता	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, समस्तीपुर।
9	श्री निलम कुमारी	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, सहरसा।
10	श्री जय प्रकाश झा	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, मुंगेर।
11	श्री मंजु कुमारी	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, सारण (छपरा)।
12	श्री वीणा ठाकुर	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, रोहतास (सासाराम)।

उपरोक्त सभी शिक्षक/शिक्षिकायें के वेतनादि का भुगतान उनके पदस्थापित विद्यालय से होगा।

सभी पदस्थापित शिक्षक/शिक्षिकायें पत्र निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अंदर अपना योगदान संबंधित आवासीय विद्यालय में देना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा वे दिनांक-19.11.2012 के प्रभाव से स्वतः विरमित समझे जायेंगे। सभी स्थानांतरित शिक्षक/शिक्षिकायें का माह नवम्बर, 2012 का वेतन नव पदस्थापित स्थान से योगदान के बाद देय होगा।


उपरोक्त आदेश में विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।


 (सुनील कुमार सिंह)
 सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-पि0व0/स्था0-15-110/2012- 1799

पटना-15, दिनांक-08.11.2012

प्रतिलिपि- निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को उनके कार्यालय आदेश ज्ञापांक-2428 दिनांक-29.10.12 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


 सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-पि0व0/स्था0-15-110/2012- 1799

पटना-15, दिनांक-08.11.2012

प्रतिलिपि- संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप निदेशक कल्याण/संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी/संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी एवं सभी संबंधित शिक्षक/शिक्षिकायें को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


 सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-पि0व0/स्था0-15-110/2012- 1799	पटना-15, दिनांक-08.11.2012
प्रतिलिपि- निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को उनके कार्यालय आदेश ज्ञापांक-2428 दिनांक-29.10.12 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।	
ज्ञापांक-पि0व0/स्था0-15-110/2012- 1799	पटना-15, दिनांक-08.11.2012
प्रतिलिपि- संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप निदेशक कल्याण/संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी/संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी एवं सभी संबंधित शिक्षक/शिक्षिकायें को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।	